अध्याय 8

लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित ईकाई के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पतियों तथा देयताओं के संबंध में लेन-देनों की जाँच से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों का पालन किया जा रहा है ।

सरकारी कम्पनियाँ

8.1 इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड

8.1.1 कम बीमे के कारण हानि

परिसम्पत्तियों के अद्यतन मूल्यांकन पर आधारित बीमा कवर प्राप्त न करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप कम बीमे के कारण ₹ 2.33 करोड़ की हानि

इन्दप्रस्थ पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने वर्तमान प्रतिस्थापन लागत आधार पर औद्योगिक सर्व जोखिम बीमा 18 सितम्बर 2006 से 17 सितम्बर 2007 की अवधि के लिए ₹ 2.62 करोड़ के प्रीमियम पर ₹ 740.25 करोड़ का बीमा कराया (सितम्बर 2006) जिसमें आग व विशिष्ट संकटों सहित सभी जोखिम समाहित होने के साथ ही भूकम्प तथा आतंकवाद, आग से लाभ की हानि (फ्लॉप) और इसके गैस टर्बाईन पावर स्टेशन (जीटीपीएस) हेतु मशीनरी टूट-फूट का भी समावेश था ।

एक भाप-टर्बाईन रोटर क्षतिग्रस्त हो गया (27 नवम्बर 2006) तथा कम्पनी ने बीमा कम्पनी पर ₹ 13.60 करोड़ का दावा किया । सर्वेयर की रिपोर्ट (22 जनवरी 2010) में ₹ 4.81 की हानि का आकलन किया गया जिसपर परस्पर सहमति बन गई । बीमा कम्पनी ने ₹ 4.81 करोड़ की शुद्ध देयता में से ₹ 2.80 करोड़ अदा किए (जुलाई 2011) । यह पाया गया कि निवल देयता को प्राप्त करने के लिए, कम बीमा होने के कारण, भाप टरबाईनं रोटर के क्षतिग्रस्त होने के कारण, बीमा कम्पनी ने, ₹ 7.14 करोड़ की हानि के निर्धारण मूल्य से ₹ 2.33 करोड़ कम कर दिए ।

बीमा पॉलिसी की सामान्य शर्तों का उपबन्ध 9 (2006-07) यह निर्धारित करता था कि पॉलिसी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति-योग्य किसी हानि या क्षति के बाद यदि पूर्न स्थापन/प्रतिस्थापन/मरम्मत के समय बीमित सम्पत्ति बीमित धनराशि से अधिक मूल्य की हो तो इस शर्त के साथ कि बीमित राशि उस मूल्य के 85 प्रतिशत से कम न हो, जिस स्थिति में इस शर्त का कोई प्रयोजन नहीं है, बीमित को उस अन्तर के लिए स्वयं बीमाकर्ता माना जाएगा और उसके द्वारा हानि का एक आनुपातिक भाग वहन किया जाएगा । लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2002-03 के दौरान पहली बार बीमा पॉलिसी

लेने की प्रकिया के समय जीटीपीएस ने अपनी वर्तमान नवीकरण लागत ₹ 3.50 करोड़ प्रति मे.वा.प्ररिकलित की,जिससे 282 मे.वा. संयंत्र की नवीकरण लागत ₹ 987 करोड़ हुई । यद्यपि इसके बाद इसने संयंत्र के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को सम्पर्क किया जिसने सूचित किया कि उसके पास जीटीपीएस जितना बड़ा कोई गैस पावर स्टेशन नहीं है और सलाह दी कि उन्हें संयंत्र का यथार्थ मूल्य जानने के लिए किसी विशेषज्ञ मूल्य निर्धारणकर्त्ता को नियुक्त करना चाहिए । परंतु कम्पनी ने न तो बाजार के किसी मूल्य निर्धारणकर्त्ता को नियुक्त किया, और न ही स्वयं गणना की गई ₹ 3.50 करोड़ प्रति मे.वा. की प्रतिस्थापन लागत पर विचार किया और ₹ 2.50 करोड़ प्रति मे.वा. की दर पर 282 मे.वा. हेतु संयंत्र मूल्यांकन कुल ₹ 705 करोड़ पर पहली बीमा पॉलिसी ली, तत्पश्चात इसके आगे के वर्षों में संयंत्र का वर्तमान प्रतिस्थापन मूल्य का निर्धारण कराए बगैर केवल सूचकांकीकरण लागू कर बीमा कराया ।

सर्वेयर की रिपोर्ट में 2002-03 में 282 मे.वा. आईजीपीसीएल जीटीपीएस संयंत्र का मूल्य ₹ 3.24 करोड़ प्रति मे.वा. की दर से अधिष्ठापित ऐसे ही एक संयंत्र के आधार पर ₹ 913.68 करोड़ निर्धारित किया और आर.बी.आई. का सूचकांकीकरण लागू करने के बाद वर्तमान पॉलिसी प्रारंभ के समय संयंत्र का प्रतिस्थापन/सूचकांकी मूल्य ₹ 1081.27 करोड़ (2006-07) परिकलित किया गया । सर्वेयर ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि पॉलिसी के अन्तर्गत बीमित धनराशि ₹ 740.25 करोड़ थी जो कि ₹ 919.08 करोड़ अर्थात ₹ 1081.27 करोड़ के प्रतिस्थापन मूल्य के 85 प्रतिशत से कम थी अतः उक्त बीमा पॉलिसी से 31.54 *प्रतिशत* (740.25/1081.27) का कम बीमा लागू किया जाना चाहिए और इस कारण हानि के परिकलित मूल्य में से ₹ 2.33 करोड़ घटाए गए ।

इस प्रकार बाजार मूल्य निर्धारक की नियुक्ति न करने से कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा तत्पश्चात वर्तमान प्रतिस्थापन मूल्य से कम पर बीमा कवर लेने के परिणामस्वरूप कम बीमे के कारण ₹ 2.33 करोड़ की हानि हुई ।

सरकार ने उपरोक्त अनुच्छेद के सार को स्वीकार करते हुए यह बताया (फरवरी 2013) कि संयंत्र की लागत की प्रति मे.वा. के आधार पर तुलना एक जटिल तत्व हैं क्योंकि प्रत्येक संयंत्र की लागत कई घटकों पर निर्भर होती है, अतः ₹ 2.5 करोड़/मे.वा. अथवा ₹ 3.5 करोड़/में.वा. पर विचार बहुत विषयपरक है । एनटीपीसी का संदर्भ लेकर ₹ 2.5 करोड़/मे.वा. का औसत लिया गया जो प्रतिवर्ष औसत रूप से परियोजनाओं के अधिष्ठापन की आरंभिक लागत में पाँच प्रतिशत की वृद्धि से प्राप्त् पूंजीगत लागत की गणना से भी मिलती है । तदानुसार वर्ष 2006 में निकाली गई पूंजीगत लागत भी पर्याप्त तर्कसंगत थी । बीमा दावे के बताए गए मामले में सर्वेयर ने इंश्योरेंस कम्पनी के हित-लाभ हेतु ₹ 3.5 करोड़/में.वा. के उच्चतर मूल्यांकन का चुनाव करने का निर्णय लिया । इसमें आगे बताया गया कि यदि ₹ 3.5 करोड़/में.वा. पर आधारित मूल्यांकन पर विचार किया गया होता, तो ₹ 920 करोड़ की बीमित राशि के लिए प्रीमियम बढ़कर ₹ 2.90 करोड़ हो गया होता । यद्यपि एक औपचारिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है और इस पर भविष्य में ध्यान दिया जायेगा ।

प्रति मे.वा. के आधार पर संयंत्र की लागत लेने की जटिलता तथा विषयपरकता और ₹ 2.5 करोड़ के औसत का पाँच प्रतिशत की वृद्धि के साथ चयन करने संबंधी सरकार का उत्तर लेखापरीक्षा के इस तर्क को पुष्ट करता है कि, जैसा कि एनटीपीसी ने सुझाया था, परिसम्पत्तियों के समुचित मूल्यांकन हेतु एक बाजार मूल्य निर्धारक को नियुक्त किया जाना चाहिए था। ऐसा कम्पनी द्वारा बाद के वर्षों में भी संयंत्र की बीमा पालिसियाँ लेते समय नहीं किया गया। अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान संबंधी उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीमा सुरक्षा का प्रयोजन हानि के जोखिम से परिसम्पत्तियों/ सम्पत्तियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। सर्वेयर द्वारा इंश्योरेंस कम्पनी के हितलाभ को देखते हुए उच्चतर मूल्यांकलन के चुनाव का निर्णय करने संबंधी उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ₹ 4.81 करोड़ की कुल देयता (कम बीमे के कारण ₹ 2.33 करोड़ के अतिरिक्त) पर कम्पनी द्वारा सहमति प्रदान की गई थी।

8.1.2 अधिक सुरक्षा कर्मियों पर अनावश्यक व्यय

इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन के विक्रय के पश्चात अधिशेष सीआईएसएफ कर्मियों के प्रत्यावर्तन में देरी के कारण ₹ 0.41 करोड़ का अनावश्यक व्यय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सभी ऊर्जा संयंत्रों के लिए 389 (अब 292) की कुल प्राधिकृत संख्या के साथ इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कम्पनी लिमिटेड (पीपीसीएल) की सुरक्षा सौंपी गई। जीएनसीटीडी द्वारा इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन (आईपी स्टेशन) के डीकमीशन किए जाने का अनुमोदन किए जाने के बाद (सितम्बर 2009) इसे 31 दिसम्बर 2009 को बंद कर दिया गया। आईपी स्टेशन की बिक्री की नीलामी को अक्टूबर 2010 को ई-नीलामी के माध्यम से सम्पन्न किया गया, सफल बोलीकर्ता को स्वीकृति पत्र 15 नवम्बर 2010 को और बिक्री के नियम व शर्तों निहित पत्र 25 जनवरी 2011 का जारी कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सफल बोलीकर्ता को बिक्री पत्र जारी करने के बाद नीलामी किए गए सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कम्पनी की नहीं थी। परंतु सीआईएसएफ को प्रदत्त सुविधाओं के पुनरावलोकन हेतु आयोजित बैठक (अप्रैल 2011) में ही यह निर्णय लिया गया कि आईपी स्टेशन पर नियोजित सीआईएसएफ कर्मियों को प्रत्यावर्तित किया जाए और प्राधिकृत संख्या 292 तक कम की जाए (अगस्त 2011)। तत्पश्चात सुरक्षा कवर हेतु बंद आई.पी. स्टेशन पर 24 निजी सुरक्षा कर्मी नियोजित किए गए।

यह भी पाया गया कि हालांकि कम्पनी को पहले ही सितम्बर 2009 में ही आईपी स्टेशन के बंद होने और उसकी बिक्री का ज्ञान हो गया था, उसने बंद आईपी स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों की संख्या घटाने उनके प्रत्यावर्तन हेतु और कम लागत पर सुरक्षा के नियोजन (जैसा कि बाद में किया गया) हेतु समय पर उपाय नहीं किए । कम्पनी द्वारा ठेकेदार को जारी पत्र (जनवरी 2011) के अनुच्छेद 3.7 में यह कहा गया है कि बिक्री किए गए माल की देखरेख के लिए ठेकेदार द्वारा सुरक्षा गार्ड प्रदान किए जाएँ, तब भी अगस्त 2011 तक सीआईएसएफ कमियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया । इस प्रकार अनावश्यक सीआईएसएफ कर्मियों के नियोजन जिन्हें संयंत्र की नीलामी/बिक्री के बाद अन्य सुरक्षा व्यवस्था से बदला जा सकता था, के परिणामस्वरूप

कम्पनी को सीआईएसएफ कर्मियों के वेतन तथा भत्तों पर ₹ 0.41[1] करोड़ का अनावश्यक व्यय करना पड़ा ।

सरकार ने अपने उत्तर (जनवरी 2013) में बताया कि हालांकि ठेकेदार को बिक्री किए गए माल की देखरेख हेतु सुरक्षा गार्ड प्रदान करने थे, परंतु आईपी स्टेशन के परिवेश में अब भी ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनके लिए सुरक्षा कर्मियों की सेवाएँ आवश्यक थी । सीआईएसएफ गार्डों के हटाए जाने के बाद भी कम्पनी ने 17 सुरक्षा गार्ड किराए पर रखे और 7 सुरक्षा गार्डों को विभागीय रूप से नियुक्त किया (अगस्त 2011)जिनपर क्रमशः ₹ 2.81 लाख और ₹ 2.00 लाख प्रति माह व्यय किए । सीआईएसएफ कर्मियों पर व्यय किया गया प्रति व्यक्ति व्यय सीआईएसएफ कर्मियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों और बंधे खर्चों के कारण किराए पर रखे गए सुरक्षा गार्डों की तुलना में काफी अधिक था और इस लिए सीआईएसएफ गार्डों के स्थान पर किराए पर निजी सुरक्षा गार्ड/विभागीय रूप से नियुक्त सुरक्षा गार्ड रखने का निर्णय लिया गया जो यद्यपि सीआईएसएफ कर्मियों की तुलना में कम प्रभावी, परंतु मितव्ययी थे । इसमें आगे बताया गया कि यद्यपि सुरक्षा पर किया जाने वाले प्रति व्यक्ति व्यय के कम होने से व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित की गई, परंतु कम लागत सुरक्षा तन्त्र, जैसा कि आईपी स्टेशन में हुई घुसपैठ की कई घटनाओं से सिद्ध होता है, न तो कारगर, न ही प्रभावशील ही रहा है । इस प्रकार ₹ 0.41 करोड़ के खर्च को निष्फल नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक सीआईएसएफ के परिनियोजन पर व्यय किया गया, संयंत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और कम्पनी को उनपर किए गए व्यय का मूल्य मिल रहा था ।

निजी सुरक्षा की कार्यक्षमता तथा प्रभावशीलता के संबंध में सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर से यह स्पष्ट है कि सीआईएसएफ सुरक्षा को प्रतिस्थापित करने का निर्णय (अगस्त 2011) निजी सुरक्षा गार्डों की प्रभावशीलता पर संदेह होने पर भी सुरक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय में कटौती को ध्यान में रखते हुए किया गया था । आगे भी निजी सुरक्षा की अक्षमता की दलील तर्क संगत नहीं है क्योंकि स्टेशन की सुरक्षा हेतु अभी तक निजी सुरक्षा परिनियोजित है (जनवरी 2013) । इस प्रकार सरकार का उत्तर लेखापरीक्षा की इस दावे की पुष्टि करता है कि सीआईएसएफ कर्मियों के समय पर प्रत्यावर्तन करने का ढंग निर्धारित करने और केन्द्रीय औद्योगिक सीमा बल अधिनियम,1968 के अनुबध 14(2)[2] के अंतर्गत अधिशेष मानव बल को अविलम्ब मार्च 2011 से अभ्यर्पित करने का उत्तरदायित्व कम्पनी का था । यद्यपि प्राधिकृत संख्या की समीक्षा हेतु बैठक अप्रैल 2011 में अर्थात संयंत्र की बिक्री की तिथि से छः महीने बीत जाने के बाद ही आयोजित की गई और अधिशेष संख्याबल अगस्त 2011 तक कार्यरत रहा, जिससे ₹ 0.41 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ ।

---

[1] मार्च-अगस्त 2011 से आईपी स्टेशन पर विनियोजित सीआईएसएफ कर्मियों के वेतन व भत्ते पर किये गये कुल व्यय में से बाद में सुरक्षा प्रयोजन से रखे गए 24 कर्मियों पर किया गया व्यय समान अवधि हेतु घटाया गया ।

[2] महानिदेशक, सीआईएसएफ को लिखित में तीन माह पूर्व नोटिस के माध्यम से जिसमें यह बताया जाए कि बल के इस प्रकार प्रतिनियुक्त सदस्य को वापस लिया जाए तथा कम्पनी इनके कार्यभार से इस सूचना की समाप्ति की तिथि या इससे पूर्व की तिथि जब बल को वापिस किया जाए से मुक्त की जाएगी ।

8.2 दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड

8.2.1 अविवेकपूर्ण वित्तीय निर्णयों के कारण अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का अवसर चूकना

कम्पनी द्वारा निधियों के निवेश संबंधी अविवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 0.32 करोड़ के ब्याज की हानि हुई ।

दिल्ली की विद्युत वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)ने उनके वित्तीयकरण हेतु आईडीबीआई बैंक द्वारा प्रस्तावित एक समग्र वित्तीय पैकेज के भाग के रूप में प्रोत्साहक निधीयन के प्रावधान हेतु अपने प्रमोटर रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (रिलायंसइन्फ्रा) और दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (डीपीसीएल) से अनुरोध(दिसम्बर 2011) किया । रा.रा.क्षे, दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के दिनांक 20-12-2011 के आदेश में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में डीपीसीएल द्वारा दोनों डिस्कॉमों को इक्विटी के प्रावधान का अनुमोदन किया जिससे अंशधारण पैटर्न अनुपात 51:49 (रिलायंस इन्फ्राः सरकार) बना रहे और जिससे डिस्कॉम आईडीबीआई बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाये । तदनुसार जीएनसीटीडी ने इक्विटी योगदान हेतु ₹ 500 करोड़ का स्वीकृति आदेश जारी किया (28 दिसम्बर 2011) । स्वीकृति आदेश का उपबन्ध (xi) यह निर्धारित करता है कि रिलायंस इन्फ्रा से इक्विटी योगदान प्राप्त होने के बाद ही बीएसईएस को इक्विटी योगदान धनराशि को हस्तांतरित किया जा सकता था । डीपीसीएल को यह सरकारी अंश 29 दिसम्बर 2011 को प्राप्त हुआ ।

क्योंकि दोनों डिस्कॉम को रिलायंस इन्फ्रा से इक्विटी के हस्तांतरण की कोई सूचना नहीं थी, डीपीसीएल ने उक्त निधियों को बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में निवेश करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें ब्याज प्राप्त हो सके । तदनुसार डीपीसीएल ने अपने पैनल के बैंकों से 7-30 दिनों की अवधि के लिए निधियों को फ्लेक्सी जमाओं में जमा कराने हेतु बोलियाँ आमंत्रित की । इलाहाबाद बैंक द्वारा 7 से 14 दिनों, 15 से 29 दिनों और 30 दिनों के लिए 10.05 प्रतिशत की सर्वाधिक ब्याज दर के कारण चुना गया । बोली में समय-पूर्व आहरण के लिए अर्थदण्ड का प्रावधान नहीं किया गया था और बैंक ने आश्वस्त किया था कि धनराशि बैंक में रहने की अवधि समय पूर्व भुगतान बोले गए दर अर्थात 10.05 *प्रतिशत* पर किया जाएगा ।तथापि डीपीसीएल ने ₹ 500 करोड़ की निधियों को देयता की तिथि 12 जनवरी 2012 के साथ केवल 14 दिनों के लिए निवेश किया । इसके बाद दोबारा बोलियाँ आमंत्रित की गई और ₹ 501.93 करोड़ (₹ 500 करोड़ + ₹ 1.93 करोड़ ब्याज) की धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक में 15 दिनों के लिए 8.50 *प्रतिशत* की दर पर पुनः निवेश (12 जनवरी 2012) किया गया। डीपीसीएल ने ₹ 499.80 करोड़ की धनराशि को दोनों डिस्कॉमों (अर्थात बीआरपीएल और बीवाईपीएल) को रिलायंस इन्फ्रा से इक्विटी योगदान प्राप्त होने पर इन्हें हस्तांतरित (फरवरी 2012) कर दिया ।

यह पाया गया कि डीपीसीएल द्वारा इन डिस्कॉमों को रिलायंस इन्फ्रा से इक्विटी योगदान प्राप्त हो जाने पर ही धनराशि को हस्तांतरित करना था और जीएनसीटीडी से निधियाँ प्राप्त करते समय बीआरपीएल और बीवाईपीएल को तुरंत निधियाँ जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि कम्पनी के अभिलेखों से स्पष्ट है । अतः डीपीसीएल को पहली बार ही 10.05 *प्रतिशत* की दर पर 30 दिनों तक निधियों का निवेश करना चाहिए था बजाय इसके कि पहले 10.05 *प्रतिशत* की दर से 14 दिन के लिए और उसके बाद शेष 16 दिनों के लिए अपेक्षाकृत कम दर पर, जिससे 0.32[3] करोड़ का अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने का अवसर खोना पड़ा ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (जुलाई 2012) तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि कम्पनी को रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार से निधियों की प्राप्ति 29-12-2011 को हुई और इसने 7-30 दिनों के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर उस समय व्याप्त सुपरिवर्तनीय स्थितियों में 14 दिनों का निर्णय लिया । 7 से 30 दिनों के लिए बोलियाँ आमंत्रित कराने का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए उनके द्वारा निधियों को 30 दिनों ही तक जमा कराने का मन्तव्य था, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय के वातावरण में कार्य करने वाले सभी संभावित चरों को ध्यान में रखते हुए जमा कराने की अवधि का निर्णय लिया था । उन्होंने आगे बताया कि बीवाईपीएल तथा बीआरपीएल को इक्विटी निधियाँ जारी करने की अत्यधिक आवश्यकता के कारण रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल को निधियाँ जारी की गईं और वे केवल अधिक ब्याज प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक समय तक निधियों को अवरूद्ध नहीं कर सकते थे ।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इलाहाबाद बैंक ने 30 दिनों तक की अवधि के लिए बिना जुर्माना लगाए समयपूर्व पैसे निकालने देने की सुविधा सहित 10.05 प्रतिशत की सर्वाधिक दर प्रस्तावित की थी । इसके अतिरिक्त प्रबन्धन का यह तर्क कि ब्याज प्राप्त करने हेतु निधियों को अधिक अवधि तक अवरोध नहीं किया जा सकता था, स्वीकार्य नहीं है क्योकि अर्थण्ड का उपबन्ध न होने पर डीपीसीएल के पास पहली बार 30 दिनों तक निधियों के निवेश के अवसर के साथ-साथ उसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आहरित करने का विकल्प था यह भी बिना किसी ब्याज में कोई कमी हुए बगैर यह सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही था क्योंकि निधियाँ रिलायंस इन्फ्रा द्वारा इक्विटी जारी किए जाने के बाद ही हस्तान्तरित की जानी थी ।

[3] 30 दिनों तक ₹ 500 करोड़ का 10.05 *प्रतिशत* की दर पर निवेश तथा 14 दिनों के लिए 10.05 *प्रतिशत* और तत्पश्चात 16 दिनों के लिए अपेक्षाकृत कम दर अर्थात अगले 15 दिनों के लिए 8.5 *प्रतिशत* की दर पर और अगले 1 दिन के लिए 9.10 *प्रतिशत* की दर पर निवेश के मध्य अंतर

डीपीसीएल द्वारा समय पूर्व आहरण पर कोई अर्थदण्ड न होने पर भी बड़ी धनराशि को एक ही दर पर 30 दिन के ब्याज पर निवेश न करके केवल 14 दिनों के लिए निवेश करने के अविवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 0.32 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का अवसर छूट गया ।

यह मामला सरकार को सूचित किया गया (जून 2012), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013) ।

नई दिल्ली
दिनांक:

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(विनोद रॉय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक